

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 एवं 2

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षक पंचायत, सहायक शिक्षक पंचायत, जिला एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु ₹ 11400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 1,14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

05 शासकीय महाविद्यालय के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 4

शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, बस्तर के लिए फर्नीचर क्रय हेतु ₹ 5.31 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 5

एमसीआई के मापदंडों के अनुरूप चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा हेतु पद सृजन के लिए ₹ 636.36 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	ग्रेड वेतन	ग्रेड बैंड	पद संख्या
1	प्राध्यापक	37400-67000	10000	13
2	सह-प्राध्यापक	37400-67000	9000	09
3	सहायक प्राध्यापक	15600-39100	7000	16
4	इपिडर्मियोलॉजी सहायक प्राध्यापक	15600-39100	7000	01
5	स्टेटिशियन कम प्रदर्शक	15600-39100	5400	01
6	ट्यूटर/प्रदर्शक	15600-39100	5400	09
7	सीनियर रेसीडेण्ट	15600-39100	5400	06
8	जूनियर रेसीडेण्ट	15600-39100	5400	16
9	फिजियोथेरेपिस्ट	15600-39100	5400	01
10	ऑडियोलॉजिस्ट	15600-39100	5400	01
11	चाइल्डसॉइकोलाजिस्ट	15600-39100	5400	01
12	क्लिनिकल सॉइकोलाजिस्ट	15600-39100	5400	01
13	स्पीचथेरेपिस्ट	9300-34800	4400	01
14	साइको सोशल वर्कर	9300-34800	4300	01
कुल योग				77

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

गलगंड रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु ₹ 9.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 9,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 7 से 8

स्वच्छ भारत अभियान हेतु ₹ 713.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,13,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 9 से 10

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ₹ 38238.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,82,38,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 11

बस्तर विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

सरगुजा/जशपुर विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 13 से 14

गैर सबला जिलों में संचालित किशोरी बालिकाओं हेतु पूरक पोषण आहार हेतु ₹ 588.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 15 से 16

केन्द्र प्रवर्तित एन.एम.एस.ए. स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट योजना अंतर्गत 11 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री क्रय पर ₹ 160.00 लाख की वापसी हेतु ₹ 160.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 17

‘नील क्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम’ नवीन योजना पर ₹ 56.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 से 19

राष्ट्रीय मछुवारा कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत मछुवारों के दुर्घटना बीमा हेतु ₹ 6.71 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 20 से 21

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना अंतर्गत ₹ 235.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,35,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 22

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी पर ₹ 12500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 23

शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग में प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य हेतु मशीन उपकरण क्रय के लिये आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद कर्मांक 24

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 5996.76 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 59,96,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।